

26 DEC 2019

No. EDN-H(8)F(1)/2019-Medha Protsahan  
Directorate of Higher Education  
Himachal Pradesh.  
Email:- [medha.protsahan@gov.in](mailto:medha.protsahan@gov.in)  
Phone No. 0177-2653120, Fax : 0177-2812882

Dated: Shimla – 171001, the, December, 2019

To

The Director,  
Public Relation H.P.,  
Shimla-171002

*Subject:- Press release regarding Medha Protsahan Yojna.*

Sir,

Please find enclosed herewith the contents of the press release regarding Medha Protsahan Yojna initiated by the Education Department Himachal Pradesh for the encouragement of the meritorious students of the state with the request to advertise the same in your daily newspaper i.e. Amar Ujala, Divya Himachal, Dainik Bhaskar & The Tribune in the interest of general public & students.

Yours faithfully,

Encl:- as above.

(Dr. Amarjeet K. Sharma)  
Director of Higher Education  
Himachal Pradesh

Endst No. the Shimla-171001 Dated 26<sup>th</sup> December, 2019

Copy to:-

1. The Principal Secretary (Education) to the Govt. of H.P. for information, please.
2. The Director, All India Radio, Shimla with the request to advertise the same please.
3. Incharge, IT Cell, Directorate of Higher Education, H.P. with the direction to upload the same on Departmental website.
4. Guard file..

Director of Higher Education  
Himachal Pradesh

## विज्ञापन

### उच्चतर शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार की मेधा प्रोत्साहन योजना

उच्चतर शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार, मेधा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत मेधावी विद्यार्थियों से राज्य एवम् राज्य से बाहर के संस्थानों से जोकि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से कार्य में कार्यरत हैं तथा उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा चिन्हित हैं, से CLAT/NEET/IIT-JEE/AIIMS/AFMC/NDA etc. एवम् UPSC / SSC / Banking and Insurance, Railways इत्यादि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु आवेदन आमंत्रित है। इस योजना के अंतर्गत आवेदन हेतु विद्यार्थी हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। अभ्यर्थी के परिवार की कुल आय मु. 2.50 लाख प्रतिवर्ष/गरीबी रेखा की आय से दोगुनी से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस योजना में चयनित विद्यार्थी को जीवनकाल में अधिकतम 1.00 लाख रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। जोकि विद्यार्थी प्रतियोगिता की तैयारी के दौरान अपने भरण-पोषण, संस्थान की फीस, किताबें तथा अन्य प्रकाशित सामग्री पर खर्च करेगा।

विभाग द्वारा विद्यार्थियों के हित में इस योजना के अंतर्गत आवेदन की अन्तिम तिथि को 25 दिसंबर से बढ़ाकर 15 जनवरी, 2020 तक निर्धारित किया गया है। अतः इच्छुक एवम् पात्र विद्यार्थी इस योजना का लाभ उठाने के लिए अपना आवेदन पत्र 15 जनवरी 2020 तक शिक्षा निदेशक उच्चतर हिमाचल प्रदेश, शिमला-171001 के कार्यालय में डाक द्वारा/ई.मेल ([medha.protsahan@gov.in](mailto:medha.protsahan@gov.in)) के माध्यम से जमा करवा सकते हैं। इस तिथि के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। योजना से संबंधित पूर्ण जानकारी शिक्षा निदेशक उच्चतर, हिमाचल प्रदेश की वेबसाइट [www.educationhp.org](http://www.educationhp.org) पर उपलब्ध है।



(डॉ. अमरजीत कु. शर्मा)  
शिक्षा निदेशक उच्चतर  
हिमाचल प्रदेश